

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर राशमी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प :- अटल सेवा केन्द्र ~~कैम्प~~ मरवा

राजस्व लोक अदालत अभियान
 न्याय आपके द्वार-2018

-: आदेश :-

प्रसं० :- 37/2018
87/2018

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार हल्का मरवा नू
 अभिलेख निरीक्षक वृत्त कद की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशाषा
 के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अनुसरण में मौजा जालमपुरा
 तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में खाता संख्या 24
 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल
 दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	मौजा	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	जालमपुरा	24	र.27-लेट बंका आस र.27-लेट बंका आस र.27-लेट बंका आस की प्रान्तेर एण्ड जयपुर	र.27-लेट बंका आस र.27-लेट बंका आस SBI



पं०
 (पंकज शर्मा)

सहायक कलेक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 राशमी, जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक: सरिस्ता/5-11 87 2018
 प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 10/5/18

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री SBI को सूचनार्थ।

पं०
 (पंकज शर्मा)

सहायक कलेक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 राशमी, जिला चित्तौड़गढ़

